(327)

सं0– /XXVIII–5–2011–33/2009

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 21 **दिसम्बर 2011**

विषय–सचल चिकित्सा वाहनों के संचालन/प्रबन्धन हेतु प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–16प/वाहन/5/2008/37050 दि0 02.11.2011, पत्र सं0–16प/वाहन/5/2008/38725 दि0 23.11.2011, पत्र सं0–16प/वाहन/5/2008/38726 दि0 23.11.2011 एवं पत्र सं0–16प/वाहन/5/2008/38724 दि0 23.11.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित सचल चिकित्सा वाहनों के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु निष्पादित अनुबन्धों की शर्तो के अधीन तथा शासनादेश संख्या 194/XXVIII-4(1)-2009-02/2008 दिनांक 15.01.2010 के क्रम में सचल चिकित्सा वाहन द्वारा प्रदत्त करायी गयी चिकित्सा सुविधा के सापेक्ष माह अगस्त 2011 हेतु ₹ 81,72,473.00 (रूपये इक्यासी लाख बहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर मात्र) एवं माह सितम्बर 2011 हेतु ₹84,94,133.00 (रूपये चौरासी लाख चौरानबे हजार एक सौ तैतीस मात्र) कुल 1,66,66,606.00 (एक करोड छियासठ लाख छियासठ हजार छः सौ छः मात्र)के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 166.67 लाख (रूपये एक करोड छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर सचल चिकित्सालयों के संचालन हेतु संचालनकर्ता फर्म को उनके साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा स्वीकृत दरों के अनुरूप नियमानुसार देय धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की जायेगी ।
2. भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सचल चिकित्सा वाहनों का संचालन एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्तो का अनुपालन करते हुए किया जा रहा है ।
3. भविष्य में धनराशि के प्रस्ताव के साथ सभी जनपदों की औचक निरीक्षण आख्या प्राप्त कर पूर्व की निरीक्षण आख्या के आधार पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को कैम्प के समय पूर्व इंगित कमियों यथा सम्बन्धित सेवा प्रदत्ता को वैन में लगे सभी चिकित्सा उपकरणों को सुचारू रूप से कार्य करने की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के आरम्भ सप्ताह में कार्यवाही पूर्ण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं तदनुसार आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।
4. सेवा प्रदाता फर्म को उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित लेखा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06–लोक स्वास्थ्य 101–रोगो का निवारण तथा नियंत्रण 99–राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–335(P)/XXVII(3)/2011-12 दिनांकः 19 दिसम्बर 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

सं0-1781 (1)/XXVIII–5–2011–33/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. M/s Rajbhra Medicare, N-18A, Second Floor, Green Park Etxn, नई दिल्ली–110016।
6. M/s Jain Video on Wheels, Jain Studio Campus, Scindia Villa, Sarojni Nagar, Ring Road, नईदिल्ली
7. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3 एंव 1/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
9. गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव